महत्वपूर्ण

संख्या-11/2018/1215/55-पर्या-1-2018-98(रिट)/2017टी0सी0-1

प्रेषक,

डॉ0 रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पर्यावरण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2018

विषयः- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम-3(5) के अनुपालन में प्रदेश में शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0-S.O.123(E) दिनांक 14.02.2000 के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 अधिसूचित है एवं अधिसूचना की तिथि से प्रभावी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0-एस.ओ.2555 (ई) दिनांक 10.08.2017 द्वारा नियम 3(5) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है-

"अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों के आस-पास कम-से-कम 100 मीटर के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिए शान्त क्षेत्र/परिक्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा।

परन्तु यह कि कोई क्षेत्र शान्त क्षेत्र या जोन प्रवर्ग के अधीन तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा उपनियम (2) के अनुसार अधिसूचित न कर दिया जाए।"

उक्त नियम-3(5) के अंतर्गत् राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अस्पताल, शिक्षण संस्थान एवं न्यायालय के चारों ओर 100 मी0 के क्षेत्र को शान्त क्षेत्र घोषित किया जाना है एवं तदनुसार शान्त क्षेत्र से संबंधित ध्वनि नियम, 2000 के प्राविधान प्रभावी होंगे।

उल्लेखनीय है कि ध्वनि नियम, 2000 के अनुपालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में रिट याचिका सं0-24981/2017 मोती लाल यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य विचाराधीन है तथा प्रश्नगत जनहित याचिका पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 20.07.2018 को नियत है।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम 2(ग) के अंतर्गत समस्त जिलाधिकारी प्राधिकारी परिभाषित हैं।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत शान्त क्षेत्र (अस्पताल, शिक्षण संस्थान एवं न्यायालय के चारों ओर के 100 मी0 के क्षेत्र) घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव/आख्या पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनकी वेबसाइट ms@uppcb.com पर एक सप्ताह के अंदर अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे ध्वनि नियम, 2000 के नियम-3(5) के अंतर्गत प्रदेश में "शान्त क्षेत्र" घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2018/1215/55-पर्या-1-2018-98(रिट)/2017टी0सी0-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि अपने-अपने क्षेत्र के संबधित जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/आख्या शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी) में उपलब्ध करायें।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।